भारत सरकार /Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग /Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र/Variable Energy Cyclotron Centre
सीएचएसएस अनुभाग/CHSS Section

सं./Ref: VECC/Admn./CHSS/2023/ /326 अगस्त/August 11, 2023

परिपत्र

Circular

विषय: सीएचएसएस, वीईसीसी, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन अस्पताल आवास की पात्रता का पुन: वर्गीकरण
Sub :Re-classification of entitlements of hospital accommodation under CHSS, VECC, DAE.

परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक. 13.04.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/16/2016/IR&W/4909 के माध्यम से सीएचएसएस के अधीन अस्पताल आवास की पात्रता के पुन: वर्गीकरण के संबंध में सीएचएसएस अनुभाग, वीईसीसी द्वारा दिनांक 05.06.2023 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें सीएचएसएस, कोलकाता के सभी लाभार्थियों (वीईसीसी, परमाणु ऊर्जा विभाग, इसरो एवं एनपीसीआईएल के सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारियों) से अनुरोध किया गया था कि वे अस्पतालों में आवास की पात्रता सूचित करने/ परिवर्तन के लिए सीएचएसएस अनुभाग में संबंधित कार्ड जमा करें। हालाँकि, इस संबंध में कार्मिकों से सहयोग की स्थिति अत्यंत खराब है।

In the backdrop of re-classification of entitlement of Hospital accommodation under CHSS by DAE vide O.M. No. 7/16/2016/IR&W/4909 dtd. 13.04.2023, a circular has been issued by CHSS Section, VECC on 05.06.2023 requesting all beneficiaries of CHSS, Kolkata (serving / retired employees of VECC, DAE, ISRO and NPCIL) to submit the cards in CHSS Section to indicate / change the entitlement of accommodation in hospitals. However, response in this regard is very poor.

2. कृपया ध्यान दें कि यदि अस्पताल आवास की पात्रता मेडिकल कार्ड पर नहीं बदली गई है/ ठीक से सूचित नहीं की गयी है, तो अस्पताल द्वारा पिछली पात्रता के आधार पर अस्वीकार्य आवास प्रदान किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित कर्मचारी से टैरिफ में अंतर की कटौती हो सकती है जो कि अच्छी स्थिति नहीं होगी।

It may please be noted that if the eligibility of hospital accommodation is not changed / properly indicated on the medical card, it may result in providing of inadmissible accommodation by hospital based on previous entitlement, which may result in deduction of difference in tariff from the employee concerned, which may not be a healthy scenario.

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे अस्पताल आवास की संशोधित पात्रता को सूचित करने के लिए अपने कार्ड सीएचएसएस अनुभाग में तुरंत जमा करें एवं जहां तक संभव हो, उसी दिन लाभार्थियों को कार्ड वापस कर दिया जाएगा।

In view of the above, all beneficiaries are requested to submit their cards in CHSS Section forthwith for indicating the revised entitlement of hospital accommodation and returning to the beneficiaries, on the same day, as far as possible.

क्रमश:/Cont....P/2

4. इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि दिनांक 01.09.2023 से इन-पेशेंट उपचार के लिए ऐसे लाभार्थियों को कोई रेफरल पत्र जारी नहीं किया जाएगा जो दिनांक 31.08.2023 से पहले सीएचएसएस अनुभाग में आवश्यक बदलाव के लिए संबंधित कार्ड जमा नहीं करते।

It is also to emphasise that no referral letter will be issued for in-patient treatment from 01.09.2023 onwards in respect of those beneficiaries who fail to submit the cards in CHSS Section before 31.08.2023 for incorporating the change.

5. इसे निदेशक, वीईसीसी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Director, VECC.

चंद्रा ई 11/8/2023

(चंद्रा ईलनगोवन/Chandra Elangovan)
प्रशासनिक अधिकारी - III/Administrative Officer - III

सभी सूचना पट्टों / All Notice Boards

प्रतिलिपि/Copy to :-

1. निदेशक का कार्यालय, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Director's Office, VECC, Kolkata.
2. सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/ Heads of Groups/Divisions/Sections, VECC, Kolkata.
3. वी.ई.सी.सी., कोलकाता स्थित प.ऊ.वि. की अन्य इकाइयों के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख/ Heads of Groups/Divisions/Sections of other DAE Units stationed at VECC, Kolkata.
4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Pay & Accounts Officer, VECC, Kolkata.
5. प्रशासनिक अधिकारी, आरआरएससी-ईस्ट, ईसरो, न्यू टाऊन, कोलकाता-700163/ Administrative Officer, RRSC-East, ISRO, New Town, Kolkata-700163.
6. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Dy. Chief Security Officer, VECC, Kolkata.
7. सहायक निदेशक (राभा), वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Asstt. Director (OL), VECC, Kolkata.
8. क्रय अधिकारी, सी.आर.पी.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata.
9. भंडार अधिकारी, सी.आर.एस.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/Stores Officer, CRSU, DPS, Kolkata.
10. सहायक लेखा अधिकारी,सी.आर.ए.यू., डी.पी.एस.,कोलकाता/Assistant Accounts Officer, CRAU, DPS, Kolkata.
11. प्रभारी अधिकारी, एएमडी, कोलकाता/Office-in-Charge, AMD, Kolkata.
12. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल (क्यूएस), कोलकाता/Office-in-Charge, NPCIL (QS), Kolkata.
13. सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संगठन/Secretary, VECC, Staff Association.
14. सचिव, अणुशक्ति, डॉ.बी.आर. अंबेदकर, एस.सी./एस.टी. कर्मचारी कल्याण संगठन, वीईसीसी /Secretary, Anushakti, Dr. B. R. Ambedkar, SC/ST Employees Welfare Association, VECC.